2022 एससीसी ऑनलाइन उत्तराखंड 1124

उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल)

(समक्ष : शरद कुमार शर्मा, जे.)

हरविंदर सिंह.....निगरानीकर्ता

बनाम

मुक्ति धाम समिति.....उत्तरदाता

MCC नंबर 2021 का 10793, आईए नंबर 2021 का 10794, आईए नंबर 2021 का 10795, आईए नंबर 2021 का 10796, और 2020 की सिविल निगरानी संख्या 93

निर्णित दिनांक 06 जनवरी 2022

इस मामले में जो अधिवक्ता उपस्थित हुए

श्री सनप्रीत सिंह अजमानी, निगरानीकर्ता के अधिवक्ता

श्री पीयूष गर्ग, उत्तरदाताओं के अधिवक्ता

जिसके द्वारा न्यायालय का आदेश किया गयाः—

शरद कुमार शर्मा, जेः—प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए निगरानीकर्ता/प्रतिवादी/किरायेदार द्वारा दिये गये पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुये इस न्यायालय द्वारा विचार करने के लिए एक अजीब लेकिन दिलचस्ब मुद्दा सामने आया है। लघुवाद न्यायालय अधिनियम, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 21 जनवरी 2020 को एक निर्णय दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप, 2015 के लघुवाद संख्या—05, मुक्तिधाम समिति बनाम हरविन्दर सिंह, का फैसला सुनाया गया और परिणामस्वरूप निगरानीकर्ता/किरायेदार को विवादित मकान/दुकान से बेदखली हेतु निर्देशित किया गया था। 21 अक्टूबर 2020 के आक्षेपित फैसले के खिलाफ, 08 दिसम्बर 2020 को इस न्यायालय के समक्ष निगरानी को प्रस्तुत किया गया।

2. लघुवाद के निर्णय दिनांकित 21 जनवरी 2020 के खिलाफ एक नियमित निगरानी होने पर, निगरानी को स्वीकार किया गया, और 24 दिसम्बर 2020 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया। 24 दिसम्बर 2020 को अंतरिम आदेश दिये जाने के बाद मामला 16 मार्च 2021 को सूचीबद्ध किया गया, जब न्यायालय द्वारा 30 मार्च 2021 से शुरू होने वाले सप्ताह के रूप में, अगली तारिख तय की गयी और उक्त आदेश अभिलेख पर अधिवक्ता श्रीमान सौरभ पाण्डे के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पारित किया गया। जब मामले को 01 अप्रैल 2021 को सूचीबद्ध किया गया और संसोधित कॉल में लिया गया तो उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता मौजूद थे लेकिन चूंकि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे इसलिए अभियोजन के अभाव के कारण निगरानी को खारिज कर दिया गया और 24 दिसम्बर 2020 को दिये गये अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया गया।

3. इसे वापस लेने की मांग करते हुये निगरानीकर्ता ने **26 अगस्त 2021 को 2021 का**

पुनर्स्थापन आवेदन संख्या–10792 दायर किया जिसमें आदेश दिनांकित 01 अप्रैल 2021 को वापस लेने की मांग की गयी, लेकिन, हालंकि, जब आवेदन 09.09.2021 को आदेश के लिए विचारार्थ आया, एक बार फिर, आवेदन को संसोधित कॉल में लिया गया, क्योंकि किसी ने भी निगरानीकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, इसलिए पुनर्स्थापन के लिये आवेदन भी 09.09. 2021 को अभियोजन पक्ष के अभाव में खारिज कर दिया गया। 26.11.2021 को उक्त आदेश वापस लेने की मांग करते हुये , निगरानीकर्ता ने दूसरा पुनर्स्थापन आवेदन दायर किया, जो कि **2021 का पुनर्स्थापन आवेदन संख्या–10793** है, जिस पर उत्तरदाता को दिनांक 25. 11.2021 के एक आदेश द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया, और वही अभिलेख पर रखा गया, और उत्तरदाता द्वारा 09.12.2021 को आवेदन पर आपत्ति दायर की गयी।

4. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को पुनर्स्थापन आवेदन व आपत्तियों पर सुना गया।

5. पक्षकारों द्वारा भरोसा किये गये न्यायिक पूर्वाधिकार के आधार पर, स्वयं पुनर्स्थापन आवेदन के औचित्य से संबंधित प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले, यह न्यायालय महसूस करता है कि आवेदक/ निगरानीकर्ता द्वारा नियत की गयी दो तिथियो पर अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के उद्देश्य से लिये गये आधारों को संदर्भित करना और निकालना अपरिहार्य है, जब इस न्यायालय द्वारा निगरानी की तिथि को नियत किया गया था।

6. अनुपस्थिती का कारण, जैसा कि 2021 के प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन संख्या–10792 में दिखाया गया है, दिनांक 01.04.2021 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुये, पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा–03 में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नानुसार दलील दीः–

'' यह कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता कुछ तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण दिनांक 01.04.2021 को आभासी अदालती कार्यवायी में शामिल नहीं हो सके, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष के अभाव में उक्त सिविल निगरानी को खारिज कर दिया गया। इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.04.2021 की प्रमाणित प्रति इसके साथ **अनुलग्नक संख्या–01** के रूप में संलग्न है।''

7. यह कि नगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क और दलील दी कि वह 01.04.2021 को निगरानी के संसोधित आवाह्न में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

8. दूसरे पुनर्स्थापन आवेदन में, 2021 की पुनर्स्थापन आवेदन संख्या–10793 दिनांकित 15.11. 2021, जिसमें निगरानीकर्ता ने दिनांक 09.09.2021 के आदेश को वापस लेने की प्रार्थना की है जिसमें दिनांक 31.07.2021 के प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन को खारिज किया गया है, वास्तव में, दूसरे पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा–03 में यह लगभग अनुपस्थिति के कारण की पुनरावृति है, जैसा कि इसे प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन में निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन पैरा–04 में उठायी गयी दलीलों के आलोक में मामूली संसोधन के साथ 09.09.2021 को अनुपस्थिति को सही ठहराने के लिए, यह इस तथ्य के कारण था **कि अधिवक्ता को मामले की लिस्टिग के बारे में अवगत नहीं कराया गया था, क्योंकि इसे चिंहित नहीं किया गया था।** द्वितीय

पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा संख्या–03 और 04 को यहां दर्शाया गया हैः–

''3 यह कि उपरोक्त सिविल निगरानी को इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.04.2021 को सुनवाई के लिये सूचिबद्ध किया गया। उस समय न्यायालय की सुनवाई आभासीय प्रकार से चल रही थी। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण 01.04.2021 को आभासी अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन के पक्ष के अभाव में उक्त सिविल निगरानी को खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप उपर्युक्त सिविल निगरानी को 01.04.2021 के आदेश के तहत डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने तदानुसार 31.07.2021 को 2021 की एम.सी.सी. संख्या–10792 के रूप में एक पुनर्स्थापन आवेदन दायर किया।

4. हालंकि, उपर्युक्त पुनर्स्थापन आवेदन 2021 एम.सी.सी नंबर 10972 होने के नाते इस माननीय न्यायालय के समक्ष 09.09.2021 को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन, आवेदक/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता मामले को चिह्नित नहीं कर सके और 09.09.2021 को इसकी लिस्टिंग के बारे में अनजान थे। आवेदक/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता इस धारणा के अधीन रहे कि मामला सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। आवेदक और उसके अधिवक्ता की ओर से उक्त गलती अनजाने में हुई है।''

9. उत्तरादाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन आवेदनों का पुरजोर विरोध किया गया ।

10. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी आपत्ति दिनांकित 01.12.2021 में प्रथम पुनर्स्थापन आवेदनों की दलीलों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि आवेदन के पैरा 03 में निर्दिष्ट कारण, 01.04.2021 को अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए, अपने आप में झूठा है और एक गलत बयान है जो एक शपथपत्र पर किया गया है, कि 01.04.2021 को अधिवक्ता की अनुपलब्धता तकनीक गड़बड़ी के कारण , जो कि तर्क और आपत्ति के अनुसार एक गैर विद्यमान तथ्य है, जिसे उत्तरदाता के अधिवक्ता ने प्रथम आपत्ति के परिशिष्ट 01 के रूप में उक्त तिथि की वाद सूची को अभिलेख में रखकर प्रमाणित किया है, जिसे वाद सूची, जो माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्राधिकार के अधीन जारी की गयी थी, विशेष रूप से देखा गया है कि कार्यवायी भौतिक प्रकार के आधार पर की जायेगी, जिसे यहां उद्धत किया गया हैः

दैनिक वादसूची

न्यायालय संख्या–2

गुरुवार, अप्रैल 01,2021, प्रातः 10:15 बजे

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा(मामलों को भौतिक न्यायालय कार्यवाही में लिया जाएगा)

11. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार वाद सूची में विशेष रूप से देखे जाने के बाद कि 01.04.2021 की कार्यवाही को भौतिक सुनवाई के आधार पर लिया जायेगा, जिसमें अंततः अनुपस्थिति का कारण जैसा कि प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा संख्या–03 में

कहा गया है, कि अधिवक्ता तकनीकी खराबी के कारण उपस्थित नहीं हो सके, एक गैर–मौजूद, काल्पनिक और कृत्रिम और झूठा तथ्य है, क्योंकि एक बार भौतिक सुनवाई, जो उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित की गयी तब आभासी प्रकार के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने वाले अधिवक्ता या वादी के लिए कोई अवसर नहीं है, जहां अनुपस्थिति की दलील दी जा सके कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण अधिवक्ता की अनुपस्थिति हुई।

12. द्वितीय पुनर्स्थापन आवेदन पर दायर आपत्ति में, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, वास्तव में, यह लगभग उसी आधार की पुर्नावृत्ति है, जिसे निगरानीकर्ता प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन में लिया है, और इसके सदाशयी स्पष्ट नहीं है और झूठे भी है, इस कारण से कि न्यायालय द्वारा भौतिक सुनवाई की कार्यवाही की बहाली के मध्यनजर ही याचिका स्वयं एक बार फिर झूठी है, और इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की है कि पुनर्स्थापन आवेदन इस आधार पर खारिज होने योग्य है कि वादी जो सही और सही तथ्यों को दर्ज करके साफ हाथों से न्यायालय नहीं जाता है या विकृत या गलत तथ्य को अभिलेख पर रखकर न्यायालय में आता है, ऐसे वादकारियों को न्यायालय, जो न्यायालय के प्रति निष्पक्ष नहीं हैं, कोई सांत्वना या अक्षांश नहीं दिखाया जाना चाहिये।

13. परंतु उत्तरदाता/मकानमालिक द्वारा पुनर्स्थापन आवेदन पर की गयी आपत्ति का जवाब देते हुये निगरानीकर्ता ने निगरानीकर्ता हरविन्दर सिंह के शपथपत्र के तहत, दी गयी आपत्तियों, का प्रतिवेदन दाखिल किया है। उक्त आवेदन के पैरा संख्या–04 में निगरानीकर्ता लगभग थोड़ा भिन्न और पहले के विपरित रूख लिया है, यह इस आशय का था कि अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र सिंह, जिन्हें इस मामले पर बहस करनी थी, उम्र को देखते हुये वरिष्ठ नागरिक होने के कारण यह आभास हो गया था कि 01.04.2021 को अदालती कार्यवाही आभासी प्रकार से होगी, इसलिए उन्होंने अदालती कार्यवाही को आभासी प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें वो अपने प्रयासों में असफल रहे जिसके कारण 01.04.2021 को वह अनुपस्थित रहा। वास्तव में, प्रतिकृति के पैरा 04 में उठायी गयी दलीलों उस अधिवक्ता की सदभावना दिखाने के लिए अधिनियम और कार्यवाही की दलील देती है, जिसने लघुवाद निगरानी की कार्यवाही में स्वयं को अभासीय प्रकार से जोड़ने का प्रयास करके भाग लेने का प्रयास किया, यद्यपि तथ्य वादसूची के अनुसार ही अन्यथा रहा कि उक्त तिथि को उच्च न्यायालय में भौतिक सुनवाई चल रही थी। इसलिए, बहस करने वाले अधिवक्ता, जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं, के लिए भी अदालती कार्यवाही को आभासीय प्रकार से जुड़ने का प्रयास करने का कोई अवसर नहीं था।

14. प्रतिकृति, जिसमें बहस करने वाले अधिवक्ता की उपस्थिति की अक्षमता उसकी वरिष्ठ नागरिक होने व उम्र के कारण को लिया गया है, जहां यह दलील दी गयी है कि वह इस धारणा के तहत था कि सुनवाई आभासीय प्रकार से की जा रही है, पहले की पुनर्स्थापन आवेदन के विपरीत, यह पूरी तरह से एक नई दलील है। यह दलील कि उन्होंने आभासीय प्रकार से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने प्रयास में विफल रहे, वे दलीलें हैं, जिन्हें

निगरानीकर्ता द्वारा स्वयं शपथ ली गयी एक शपथपत्र प्रस्तुत कर अभिलेख में रखा गया है, जहां अधिवक्ता को कार्य और न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपने प्रामाणिक प्रयासों को दिखाने के लिये **व्यक्तिगत ज्ञान पर शपथपत्र के अभिसाक्षी द्वारा शपथ ली गयी है।** अधिवक्ता के व्यक्तिगत कार्य को शपथपत्र के अभिसाक्षी के व्यक्तिगत ज्ञान पर नहीं मढा जा सकता है, जब तक कि शपथपत्र के अभिसाक्षी द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि अधिवक्ता द्वारा उसे बताया गया था कि उसने आभासीय प्रकार से कार्यवाही में भाग लेने के लिये भरपूर प्रयास किये(हालांकि कोई नहीं), लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसलिए प्रतिकृति में उठायी गयी दलील इस तथ्य के अलावा की वह प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा–03 में लिये गये मुख्य रूख के विपरीत हैं, इस पर इस न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अभिसाक्षी द्वारा शपथपत्र में उनके व्यक्तिगत ज्ञान पर दिये गये विचार की अभिव्यक्ति है, जिसे पुनर्स्थापन आवेदन का समर्थन करने के लिये एक कार्यवाही या अधिवक्ता के प्रयास के रूप में पढ़ने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

15. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी आपत्ति के समर्थन में प्रस्तुत किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय लगातार यह निर्धारित कर रहा कि कार्यवाही में भाग लेने वाले वादी की सदाशयता निर्धारित करने के दो अलग–अलग उपाय हैं। **न्यायालयों के समक्ष झूठा बयान देना और कार्यवाही में प्रामाणिक रूप से भाग लेने में विफलता** दो अलग–अलग पहलू हैं, जिन्हें न्यायिक रूप से दो अलग–अलग दृष्टिकोनों से देखा जाना चाहिये, क्या यह एक विशेष वास्तिविक गलती थी, जैसा कि 01.04.2021 को अधिवक्ता द्वारा किया गया प्रयास को प्रतिकृति के पैरा–04 में कहा गया है, इसे प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन में पहले उपलब्ध अवसर पर तार्किक रूप से दलील दी जानी चाहिये थी, जब पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा–03 में तकनीकी गड़बड़ी की याचिका ली गयी थी, लेकिन एक के रूप में नहीं नकल में बाद में सोचा, वह भी निगरानीकर्ता के शपथपत्र के तहत, अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर। इस प्रकार स्पष्ट रूप से, यह पहले आधार को झूठा बनाता है, और न्यायालय को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास करता है।

16. इस तरह की दलीलों की अनुपस्थिति में, पहले विचार में जब प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन दायर किया गया था, तो खुद ही सदाशयता के बारे में संदेह पैदा करता है, जब अनुपस्थिति के आधार को बाद की दलीलों द्वारा योग्य बनाने की मांग की जा रही है, जो कि प्रतिकृति में उठाया गया, जो उत्तरदाताओं द्वारा दायर आपत्ति के जवाब में प्रस्तुत किया गया था।

17. झूठे और भ्रामक बयान की अपनी दलील का समर्थन करने के लिये उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्तओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया, जैसा कि (2010) 2 एएसीसी 114, दिलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में रिपोर्ट किया गया था और विशेष रूप से, उन्होंने व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया था, जैसा कि उक्त निर्णय में प्रचारित और निर्धारित किया गया था, और उक्त निर्णय के पैरा 1, 2 और 3 में इसका संदर्भ दिया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया हैः–

''1. कई शताब्दियों के लिये, भारतीय समाज में दो बुनियादी मूल्यों अर्थात 'सत्य' और 'अहिंसा' को पोषित किया। महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को शामिल करने के लिये मार्गदर्शित किया। सत्य न्याय वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है जो स्वतंत्रता–पूर्व युग में प्रचलित था और लोग परिणाम की परवा किये बिना न्यायालयों में सच बोलने में गर्व महसूस करते थे। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारे मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखे गये हैं। पुराने लोकाचार पर भौतिक वाद हावी हो गया है और व्यक्तिगत लाभ की चाह इतनी तीव्र हो गयी है कि मुकदमेबाजी में लिप्त लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को दमन का आश्रय लेने से नहीं हिचकिचाते।

2. पिछले 40 वर्षों में, वादियों का एक नया पंथ उभरा है। जो लोग इस पंथ से संबंधित हैं, उनमें सत्य के लिये कोई सम्मान नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बेशर्मी से झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। वादियों के इस नये पंथ द्वारा उत्तपन्न चुनौती का सामना करने के लिये, अदालतों ने समय–समय पर नये नियम विकसित किये हैं और अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि एक वादी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय करने वाला शुद्ध स्रोत को दागी हाथों से छूता है, किसी भी राहत, अंतरिम या अंतिम का हकदार नहीं है।

3. हरीनारायण बनाम बद्रीदास ए0आई0आर0 1963 एस0सी0 1558 में, इस न्यायालय ने पूर्वोक्त नियम को विज्ञापित किया और अपीलकर्ता को दी गयी अनुमति को निम्नलिखित टिप्पणियों के द्वारा खारिज कर दिया:

'' यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दिये गये विशेष अनुमति के आवेदनों में भौतिक बयान देने और आधार प्रस्तुत करने में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई भी ऐसा बयान ना दिया जाये जो गलत, असत्य और भ्रामक हो। विशेष अनुमति के लिये आवेदनों से निपटने में न्यायालय स्वभाविक रूप से याचिकाओं निहित तथ्यों और तथ्य के आधारों को उनके अंकित मूल्य पर लेता है और असत्य और भ्रामक बयान देकर न्यायालय के विश्वास को धोखा देना अनुचित होगा। इस प्रकार, यदि अपील की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा विशेष अनुमति के लिये उसके आवेदन में दिये गये भौतिक बयान गलत और भ्रामक हैं और उत्तरदाता यह दावा करने का हकदार है कि अपीलकर्ता ने जो विशेष अनुमति प्राप्त की है, वह विशेष अनुमति याचिका में तथ्यों की गलत बयानी कर प्राप्त की है, तब सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि ऐसे मामले में अपीलकर्ता को दी गयी विशेष अनुमति को खारिज कर दिया जाना चाहिये।''

18. एक वादी, जो स्वच्छ हाथों और निष्पक्ष दलीलों के साथ न्यायालय नहीं जाता है, उसके साथ कैसे और किस तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिये, जहां उससे शपथपत्रों या अभिलेख पर दस्तावेजों के आधार पर सच बोलने की उम्मीद की जाती है, तथा किसी मुद्दे पर न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये जिन पर न्यायालय द्वारा भरोसा किया जाता है, भले ही

यह पुनर्स्थापन का एक छोटा सा मुद्दा ही क्यों ना हो।

19. वास्तव में, देश की न्यायिक प्रणाली की मूल संरचना, न्यायालय और सहायक अधिवक्ता के बीच एक विश्वास पर आधारित है, और यदि विश्वास को, दलीलों के मध्यनजर, जो स्पष्ट रूप से अभिलेखों के विपरीत हैं, स्पष्ट रूप से तोड़ा जाता है तो गुण–दोष के आधार पर निर्णित किये जाने वाले वाद पर न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का कोई व्यापक और प्रशंसनीय सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। एक विकृत या भ्रामक आधार या उक्त तिथि यानी 01.04.2021 को अनुपस्थिति को सही ठहराने के लिये ली गयी दलील, जब यह स्पष्ट रूप से अभिलेख के विपरीत चलती है, विशेष रूप से जब सुनवाई भौतिक रूप से सुनी जा रही थी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी वादसूची से स्पष्ट है, प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन मे लिये गये आधार पर इस न्यायालय द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता है, और विशेष रूप से, जब इसे अभिसाक्षी निगरानीकर्ता के शपथपत्र के तहत प्रस्तुत प्रतिकृति द्वारा योग्य होने का प्रयास किया गया था, जिसमें दोनों तिथियों पर अनुपस्थिति का कारण एक विपरीत स्थिति थी।

20. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ दिया, जिसे कि 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 828, विश्वबंधु बनाम श्रीकृष्ण में रिपोर्ट किया गया है, और उन्होंने विशेष रूप से संदर्भ दिया है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 22 और 24 देखा है, कि एक वादी न्यायालय से किसी भी राहत या न्यायसंगता का दावा करने के लिए अयोग्य है, जहां वह न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय आदेश को वापास लेने की मांग करने के प्रयोजनों और उसे अपनी योग्यता के आधार पर कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिये अभिलेख पर सही तथ्यों के साथ नहीं आता। यहां तक कि वापस बुलाने के आवेदन या एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के आवेदन को, जैसा कि उक्त निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, विवाद के समर्थन में एक आधार के रूप में की जाने वाली झूठी याचिका को रोकने के लिये, यहां तक कि किसी वाद को डिफॉल्ट रूप में खारिज करने के आदेश को वापस बुलाने या बहाली की मांग करने के उद्देश्य हेतु कठोर रूप से निपटा गया है। उक्त निर्णय का पैरा 22 व 24 निम्नानुसार हैः–

''22। एकपक्षीय डिक्री पारित होने के बाद भी, 04.04.2000 को प्रोसेस सर्वर द्वारा दायर की गई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था कि नोटिस उत्तरदाता नंबर 1 को दिया गया था, जिसे नोटिस की प्रति पर हस्ताक्षर करके उसके द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था। इस तरह की जानकारी के बावजूद उत्तरदाता संख्या 1 ने एआईआर 2007 सप्प एससी 1705(1992) 1 एससीसी 647ः एआईआर 1992 एससी 1604(1996) 7 एससीसी 523(2004) 8 एससीसी 774 को दिसंबर 2020 के महीने में नीलामी के लिये रखी जाने वाली संपत्ति की अनुमति दी। नीलामी पूरी होने के बाद ही उन्होंने संहिता के आदेश IX नियम 13 तहत आवेदन को प्राथमिकता दी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.04.2006 में सही पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 सतर्क नहीं था। फिर भी, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या

1 के पक्ष में राहत देने की कार्यवाही की।

23.....

24. इसलिए, हम इन अपीलों को अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21.04. 2006 और 18.10.2019 के आदेशों को अपास्त करते हैं और संहिता के आदेश IX नियम 13 तहत उत्तरदाता 1 द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं।

21. दूसरी ओर, रिकॉल आवेदन के लिए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कई निर्णयों का संदर्भ दिया, और विशेष रूप से, उन्होंने एक निर्णय का संदर्भ दिया, जैसा कि 2002(2) एस.सी. डी. 103, भारतीय अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण बनाम एम0एल0 डालमिया एण्ड कंपनी लिमिटेड में रिपोर्ट किया गया है, और उन्होंने सिद्धांतों का उल्लेख किया, जो उक्त निर्णय के पैरा 04 में निर्धारित किया गया, जिसे यहां दर्शाया गया हैः–

''4 शपथपत्र द्वारा समर्थित पुनर्स्थापना के लिये आवेदन की अंर्तवस्तु का अवलोकन करने के बाद , हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने 10.07.2001 को अनुपस्थिती की व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन इस तरह की पेशकश की गयी व्याख्या उच्च न्यायालय के लिए प्रशंसनीय नहीं थी, विशेष रूप से अपीलकर्ता के पहले के आचरण को देखते हुये जो उच्च न्यायालय के साथ भारी था, जिसके परिणाम से अपीलकर्ता को अनुग्रह से इंकार किया जा रहा था। इसमें शामिल दाव को देखते हुये और इस महत्वपूर्ण विचार को ध्यान में रखते हुये कि जहां तक व्यावहारिक है, एक वादी को गुण के आधार पर सुनवाई से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, हम इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की पत्रावली पर इसे बहाल करके गुण–दोष के आधार पर अपील में सुनवाई की, अपीलकर्ता को एक और अवसर देने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन शर्तों के अधीन।''

22. वास्तव में, उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया, यह मामले को वापस लेने के लिए आवेदन को वापस लेने के लिए कार्यवाही कर रहा था, जिसे अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में शामिल दाव के परिपेक्ष से इस मुद्दे को तोला है, जिसके परिणामस्वरूप योग्यता के आधार पर निर्णय लेने से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया और यही कारण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से देखा कि वाद तय करने के सिद्धांत, पक्षकारों को सुनने के बाद ही गुण–दोष के आधार पर होने चाहिए और अधिवक्ता की अनुपस्थिति की तकनीकी, जैसा कि उस मामले में तीन बार अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये, फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर पुनर्स्थापना की अनुमति दी है चूंकि पक्षकारों का दाव बहुत अधिक था और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश को वापस लेने और मामले को पुनर्स्थापित कर उच्च न्यायालय द्वारा उसके मूल नंबर पर सुनने के लिए एक न्यायसंगत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए आकर्षित किया गया।

23. इस मामले में और पूर्वात्क निर्णय में उसमें निर्धारित अनुपात, मेरा विचार है कि उक्त मामले में मुख्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के दाव के बारे में सोचा जो

उक्त मामले में शामिल था और उस स्थिति से नहीं निपट रहा था, जहां एक वादी ने साफ हाथों से यह सही और सही तथ्यों को ना रखकर या किसी तथ्य को तोड़–मरोड़कर पेश किया है, जो कि इस मामले में है, इसलिए, उपर संदर्भित निर्णय के वे सिद्धांत, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में लागू नहीं होंगे।

24. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का संदर्भ दिया, जैसा कि (2008)5 एस0सी0सी0 209, नाहर सिंह बनाम भारतीय खाद्य निगम, में रिपोर्ट किया गया, और विशेष रूप से उन्होंने उक्त निर्णय के पैरा 10,11 और 12 की अंर्तवस्तु का संदर्भ दिया है, जिसे यहां उद्धवत किया गया हैः–

''10 अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी विशेष अनुमति याचिका को भी उसी दिन सूचिबद्ध किया गया लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, उक्त विशेष अनुमति याचिका को चूक के कारण खारिज कर दिया गया।

11. अपीलकर्ता ने यह कथन करते हुये समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया कि उसे , उसके अधिवक्ता को भी, इस तथ्य के मद्देनजर गुमराह किया गया था कि मामला www.court.nic.enquiry के अनुसार 19.02.2007 को सूचिबद्ध दिखाया गया। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से एक रिपोर्ट मांगी थी और ऐसा लगता है कि अपीलकर्ता का तर्क सही नहीं था। इसके अलावा यह भी प्रतीत होता है कि मामले को सूचीबद्ध करने की तिथि के संबंध में पक्षकारों को नोटिस दिया गया।

12 हालांकि हमने समीक्षा आवेदन पर विचार किया है और अपीलकर्ता को गुण–दोष पर सुना। ''

25. आइये हम उन निष्कर्षो से निपटते हैं जो उस में दर्ज किय गये थे, और तर्क, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचना पड़ा, हमेशा तथ्यात्मक पृष्ठ भूमि पर निर्भर करेगा क्योंकि उक्त मामले में विचार शामिल था और इसके तथ्यात्मक हिस्से को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण से निपटाया गया है जैसा कि पैरा 11 में देखा गया है, कि मामला 19.02.2007 में सूचिबद्ध किया गया था और इसकी लिस्टिंग का ज्ञान केवल अधिवक्ता और वादी को तभी दिया गया था जब न्यायालय कि वेबसाइट और सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की रिपोर्ट से जांच की गयी थी। उस मामले में यह पाया गया कि उक्त मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को मामले की लिस्टिंग की दिनांक के संबंध में नोटिस दिया गया था, जैसा कि आवेदक को दी गयी वेबसाइट की जानकारी से स्पष्ट होता है। फिर भी, यह वह स्थिति नहीं है जो यहां प्रचलित है, क्योंकि वर्तमान लघुवाद निगरानी की आदेश पत्रिका से पता चलता है कि 01.04.2021 से पहले की तिथियों में, निगरानीकर्ता के प्रतिनिधि और कभी–कभी उसके अधिवक्ता स्वयं उपस्थित थे तथा और उन्हें बहुत अच्छी तरह से अगली तारीख का ज्ञान था और इसमें तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि मामले को सूचीबद्ध करने का ज्ञान निगरानीकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से था और चूंकि तकनीकी गड़बड़ी की दलील तथ्यों से स्थापित नहीं

होती है जिस पर पहले ही उपर चर्चा की जा चुकी है, प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन का आधार झूठा है और इसलिए इसे खारिज किया जायेगा क्योंकि जानबूझकर न्यायालय को गुमराह करने के लिए झूठे और भ्रामक बयान दिये गये हैं।

26. इस न्यायालय को अन्य आधारों का संज्ञान नहीं देना चाहिये , जो उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनर्स्थापन आवेदन के विरोध में उठाये गये, जो कि निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अन्य मामलों में की गयी निरन्तर भागीदारी के आधार पर उठाया गया जिन्हें न्यायालय की भौतिक सुनवाई के दौरान सूचीबद्ध किया गया , इसलिए उक्त आपत्ति पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा रहा है।

27. मेरे विचार में तथा जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा भी तय किया गया है, कि जब एक न्यायालय के समक्ष मुकदमेंबाजी में, दो या दो से अधिक अधिवक्ता कार्यवाही के लिये एक ही पक्ष के लिये उपस्थित होते हैं और मामले को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया जाता है, दोनों अधिवक्ता, एक वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं, जब कार्यवाही की जाती है और किसी भी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में यदि अभियोजन पक्ष की अनुपस्थिति में मामले को खारिज कर दिया जाता है, तो एक की अनुपस्थिति का तर्क अधिवक्ता की अनुपब्धता या न्यायालय के सामने उपस्थित होने में एक अधिवक्ता की अक्षमता के कारण, निगरानी को न्यायोचित ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है।

28. निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने एक अन्य निर्णय का भी संदर्भ दिया जैसा कि ए0आई0आर0 1966 एस0सी0 1631, जंग सिंह बनाम बृजलाल में रिपोर्ट किया गया, विशेष रूप से उन्होंने उक्त निर्णय के पैरा 06 का संदर्भ दिया, जिसे यहां उद्धत किया गया हैः–

''6 मामले के तथ्य लगभग स्वयं के लिये बोलते हैं। उस आवेदन की जांच की गयी जिस पर न्यायालय द्वारा रूपये 4950/– जमा कराने के निर्देश दिये। जिला न्यायाधीश द्वारा मामले को एक से अधिक बार स्थगित करने के बावजूद वह आवेदन नहीं मिल पाया। हालांकि, यह बिलकुल स्पष्ट है कि न्यायालय के निर्देश के तहत चालान तैयार किया गया था और न्यायालय द्वारा तैयार किये गये प्रतिरूप चालान के साथ–साथ बैंक को पेश किये गये चालान को इस मामले में पेश किया गया है और वे कम राशि दिखाते हैं। यह चालान निष्पादन लिपिक द्वारा स्वीकृत रूप से तैयार किया गया है और यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि जंग सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति है। निष्पादन लिपिक ने उस प्रक्रिया को स्वीकार किया है जिसका आमतौर पर पालन किया जाता है और उसने बताया है कि पहले जमा की गयी राशि के बारे में अहमद द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है और फिर चालान तैयार करने से पहले आवेदन पर न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। इसलिए यह बिलकुल स्पष्ट है कि यदि कोई त्रुटि होती है तो न्यायालय और इसके अधिकारियों ने इसमें काफी हद तक योगदान दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वादी को सतर्क रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन जब एक वादी न्यायालय में जाता है और न्यायालय से सहायता मांगता है, न्यायालय ताकि

उसका दायित्व– एक डिक्री के तहत उसके द्वारा कड़ाई से पूरा किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना न्यायालय पर अनिवार्य है कि सही जानकारी प्रस्तुत की गयी है तथा वादी को उसके अपने उपकरणों पर नहीं छोड़ा है। यदि न्यायालय सूचना प्रदान करने में गलती करता है तो वादी की जिम्मेदारी, हालांकि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, कम से कम न्यायालय द्वारा साझा की जाती है। यदि वादी उस सूचना के विश्वास पर कार्य करता है तो न्यायालय उसे उस गलती के लिये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है जो उसने स्वयं की है। न्यायालय के मार्गदर्शन के लिये इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है कि न्यायालयों के किसी भी कार्य से वादी को नुकसान नहीं होना चाहिए और न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे देखें कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय की गलती से नुकसान होता है तो उसे बहाल किया जाना चाहिए। इसे उपयुक्त रूप से इस कहावत में अभिव्यक्त किया गया हैः '' एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवाबिट''।

29. पूर्वोक्त निर्णय, बल्कि व्यापक सिद्धांत को अभिगृहीत करता है, कि मुकदमेबाजी के एक पक्ष को न्यायालय या अधिवक्ता की गलती के कारण भुगतना ना पड़े। पैरा संख्या 6 के उपरोक्त सिद्धांतों के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसका मेरे द्वारा 2019 के आपराधिक निगरानी संख्या 252, कर्मिशियल टोयटा बनाम उत्तराखण्ड राज्य, में दिये गये निर्णय में भी पालन किया गया था। न्यायालय या अधिवक्ता की गलती के कारण एक वादी को पीड़ा, हालांकि सामाजिक रूप से, यह एक मामले की परिस्थितियों के एक निश्चित समय में पालन करने के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हो सकता है, जहां व्यक्ति की सदभावना न्यायालय को सघन, स्पष्ट, निष्पक्ष और निष्पक्षता के साथ जुड़ी हुयी प्रकट होती है। यदि दलीलों में निष्पक्षता परिलक्षित नहीं होती है, तो अंत में, यह सिद्धांत सभी मामलो में लगभग हमेशा आकर्षित होने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, जहां तक कि इस आदेश को वापस बुलाने या मामले को गुण–दोष पर निर्णित करने के लिये वादी के अधिवक्ता द्वारा विकृत या भ्रामक कदम उठाये जाते हैं।

30. इस न्यायालय द्वारा की गयी इस टिप्पणी का औचित्य इस आधार पर है कि वास्तव में, आवेदक यानी अभिसाक्षी, जब उसने एक प्रतिकृति दायर की है और अधिवक्ता, जो एक वरिष्ठ नागरिक है, को आभसीय सुनवाई से जुड़ने में असर्मथता के कारण उपस्थित होने की अक्षमता का नया मामला तैयार किया गया है, वास्तव में, यह एक तथ्य था, जो उस समय भी उनके लिये उपलब्ध था, जब निगरानीकर्ता द्वारा पुनर्स्थापन के लिये पहला आवेदन दायर किया था, जिससे आदेश दिनांकित 01.04.2021 को वापस लेने की मांग की गयी थी। लेकिन, ऐसी कोई दलील कभी नहीं ली गयी, कि अधिवक्ता ने आभासी सुनवाई से जुड़ने का प्रयास किया(हालांकि 01.04.2021 को कोई नहीं) और जुड़ने में विफल रहा। यह दलील बाद में सोची–समझी और भ्रामक दलील है।

31. पहले दिये गये उदाहरण में, ऐसा नहीं करने और प्रतिकृति के माध्यम से इसे विकसित

करने के बाद, फिर से, 01.04.2021 व 09.09.2021 के आदेशों को वापस लेने के लिये अधिवक्ता द्वारा लिये गये आधारों से संबंधित एक वास्तविक संदेह पैदा करता है, जब विशेष रूप से, किसी भी तारीख को, न्यायालय की भौतिक सुनवाई चली रही थी, जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी वाद सूची के कारण शीर्षक से स्पष्ट होता है। न्याय, और विशेष रूप से, जब निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने उसी तारीख को सूचीबद्ध मामलों में अन्य न्यायालयों में भौतिक सुनवाई में भाग लिया था।

32. तर्क की पराकाष्ठा पर, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने लगभग स्वीकार कर लिया है कि प्रथम पुनर्स्थापन आवेदन के पैरा 3 में दलील देने में गलती इस तथ्य के कारण हुई थी कि पुनर्स्थापन स्वयं जुलाई 2021 में दायर की गई थी, और 01.04.2021 की तकनीकी खराबी की याचिका को गलती से पेश किया गया था और यह वह था, जिस पर इस तरह की दलील देने की जिम्मेदारी थी और वादी को उसकी गलती के कारण नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

33. मेरे आदेश पर पूरे सम्मान के साथ, मेरा विचार है कि कानून की अदालत को दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करनी होगी, ताकि वादी, जो अदालत में पेश हो रहे हैं, अदालती कार्यवाही को हल्के में न लें। न्यायालय का दरवाजा खटखटाते समय उन्हें मेहनती, निष्पक्ष और अपने पक्ष में ईमानदार होना चाहिए। आदेश प्राप्त करने के लिए न्यायालय को गुमराह करने के किसी भी प्रयास को न्यायालयों द्वारा विफल किया जाना चाहिए।

34. वर्तमान मामले में विरोधाभासी दलील, विभिन्न आवेदनों में जो पुनर्स्थापन आवेदन के समर्थन में दायर किये गये थे, वास्तविक अभिलेख के विपरीत होने के कारण, अधिवक्ता की अनुपस्थिति का कारण मनगढ़ंत है, और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है। इसलिए पुनर्स्थापन के आवेदन को खारिज किया जाता है और समानता के व्यापक सिद्धांत, जिस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जोर दिया है, न्यायालय के लिये निष्पक्ष होने के लिये एक अधिवक्ता या वादी की योग्यता पर न्यायसंगतता का उपरी हाथ नहीं हो सकता है।

35. इस प्रकार, आवेदनों को केवल इस आधार पर खारिज किया जाता है कि अनुपस्थिति की दलील स्पष्ट रूप से गलत और भ्रामक है और जो अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज द्वारा स्थापित है। इसलिए आवेदनों को खारिज किया जाता है।

36. पुनर्स्थापन आवेदन को खारिज करने वाले आदेशों की परिणति के बाद, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की है कि आदेश को दो सप्ताह के लिए प्रभावी बनाने के लिए निलंबित किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा कुछ अनुग्रह दिखाया जा सकता है, ताकि वह उच्च न्यायालय के समक्ष उसके उपयुक्त उपचारों का सहारा लेने हेतु सक्षम हो सके।

37. मेरा विचार है, कि न्यायालयों द्वारा कृपा या सांत्वना केवल उन वादियों या अधिवक्ताओं को दी जा सकती है, जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते समय अपनी दलीलों में निष्पक्ष हों और स्वच्छ हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हों। एक बार, मैंने पहले ही देख लिया है और एक खोज दर्ज की गई है कि अभिवचन अभिलेखों के विपरीत थे, मैं निगरानीकर्ता के लिए किसी भी समानता या सांत्वना का विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं और वह भी,

विशेष रूप से, इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुये कि प्रांतीय लघुवाद अधिनियम की धारा 25 के तहत क्षेत्राधिकार से रोका गया हूं जो नियमित सिविल कार्यवाही है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक असाधारण क्षेत्राधिकार नहीं है, जहां न्यायसंगतता को समान रूप से लागू किया जा सकता है।